प्रेषक,

प्रीति शुक्ला, सचिव.

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

समस्त अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अन्भाग-2

लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर, 2019 विषय :जिला पंचायतों में ठेकेदारों का पंजीकरण/नवीनीकरण आनलाइन किये जाने के

संबंध में ।

महोदय,

जिला पंचायतों में ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्टर प्रणाली के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-642/33-2-2017-37जी/17, दिनांक 10-04-2017, शासनादेश संख्या-1105//33-2-2017-56जी/17, दिनांक 18-05-2017 तथा शासनादेश संख्या-2981//33-2-2018-56जी/17, दिनांक 05-06-2018 द्वारा निर्गत किये गये है तथा निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से जिला पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों एवं अन्य कार्यों के संबंध में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में जिला पंचायतों में रजिस्टर्ड ठेकेदारों के अतिरिक्त सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व अन्य सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों को भी प्रतिभाग किये जाने की अनुमति शासन के पत्र संख्या-05/2019/2902/33-2-2019-198/2018 दिनांक 16-08-2019 द्वारा कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्तों के साथ प्रदान की गई है।

- उल्लेखनीय है कि प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों में वर्तमान में ठेकेदारों का पंजीकरण/नवीनीकरण ऑनलाइन न होकर मैन्अल/ऑफलाइन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के साथ साठ-गांठ किये जाने से जिला पंचायतों को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नहीं मिल पा रहा है । उक्त के अतिरिक्त शासन के संज्ञान में यह भी तथ्य लाये गये हैं कि विभिन्न जिला पंचायतों में ठेकेदारों के पंजीकरण/ नवीनीकरण किये जाने में विभिन्न स्तरों पर अवरोध उत्पन्न किये जा रहे हैं।
- इस संबंध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों में ठेकेदारों का पंजीकरण/नवीनीकरण ऑनलाइन कराये जाने की व्यवस्था 01 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से स्निश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया

प्रीति शुक्ला सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 10/2019/5568(1)/33-2-2019, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित :-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, 30प्र0।
- 3- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ०प्र० लखनऊ
- 4- गार्ड फाइल।

आजा से

बृज तन्द्रन लाल विशेष सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।